...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	काफिया बी AW1, अब्दुल वहीद AW2 के बयान दर्ज रिकार्ड किये गए। पत्रावली में बहस अन्तिम सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 6-2-24 को पेश हो।	
6.2.24	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० हैं। बहस प्रा०पत्र में वकील प्रार्थी द्वारा अपने प्रा०पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के आधार पर प्रा०पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं. 4006 एवं 754 वर्ग० मे दर्ज मच्छोबी व मच्छोदी नाम की एक ही महिला है, जिसको घर पर बोलचाल की भाषा में मच्छोबी के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत बैंक ऑफ बड़ौदा पासबुक, जनआधार, आधारकार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदेश आदि की जांच करने पर एवं उपस्थित मौतबिरान द्वारा बताया गया कि प्रार्थिया का ~~नाम~~ वास्तविक नाम काफिया बी है जिसका नाम संशोधित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हमने प्रा०पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट का अवलोकन किया। [illegible] प्रार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर मनन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट से स्पष्ट	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.09 15:49:22 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	है कि मच्छो बी एवं काफिया बी एक ही महिला है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी की खाता सं. नया 289 की खसरा संख्या 754, 755, 756, 757, 758, 759, 767. कुल किता 7 कुल रकबा 11 बीघा 06 बिस्वा भूमि तथा कस्बा नैनवां प्रथम की खाता संख्या 288 की खसरा संख्या 4006 रकबा 02 बिस्वा भूमि में वर्णित सहखातेदार "मच्छो बी" व "मच्छो बी" के स्थान पर "काफिया बी" नाम का रिकार्ड इन्द्राज दुरुस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार नैनवां को दिये जाते है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2024.02.09 15:49:22 IST
Reason: SelfAttested